

17/6/21



550  
श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर  
अपील पत्रा की वास जांच  
रिपोर्ट होना  
17.6.21

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर  
अपील डिक्री टी.ए.संख्या...129/2021 जिला अजमेर

2021/129

1. कालू पुत्र जगन्नाथ
2. श्योराम पुत्र जगन्नाथ
3. बन्ना पुत्र श्री जगन्नाथ

सभी जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम चांदणों की ढाणी, सरगांव तहसील  
किशनगढ़ जिला अजमेर।

— अपीलांट्स

बनाम्

1. ग्राम पंचायत सरगांव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सरगांव तहसील  
किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, किशनगढ़ जिला  
अजमेर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी  
महोदय, किशनगढ़ दिनांक 1.4.2021 जो वाद संख्या  
18/2015 बउनवानी कालू वगेरह बनाम् ग्राम पंचायत सरगांव  
वगेरह में पारित किया गया।

मानयवर,

अपीलांट्स की ओर से निम्न निवेदन है:-

- (अ) यह कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/  
अपीलांट्स ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी  
महोदय, किशनगढ़ के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेन्ट्स प्रस्तुत कर

129/2021  
17.06.21

KG

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

129/2021/223

काल 4/5 ग्राम पंचायत/सगाव

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
10/2/26	<p>2021/223 श्री महेश्वर चोडान श्री लक्ष्मणशर्मा - 1 4A2</p> <p>पत्रावली पेश की गई। अमिनाबक अपीलांत एवं अपीलांत अनुपस्थित। अमिनाबक अपीलांत एवं अपीलांत को कई बार कल-कल कर धावाजे डिलाई गई. किन्तु उपस्थित नहीं हुए. दंत! अपीलांत अडप हजरी. अडप पेशी में खाजि की जाती है। पत्रावली कलकलुमार होकर नम्बर ले कम हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>राजस्व अपील प्राधिकारी</b> <b>अजमेर</b></p>	